न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

रेफरेन्स संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 16 / 2011	01—08—2011	15—12—2022

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. संतूराम पुत्र हरिशचन्द ओड राजपूर निवासी ग्राम धासोली तहसील किशनगढबास हाल निवास मालपुरा तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

अप्रार्थी

रैफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1953

उपस्थितः—

1. **श्री दीपक मीना** — **राजकीय अभिभाषक**
2. **श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल** — **वकील अप्रार्थी**

——:: निर्णय ::——

तहसीलदार रामगढ ने यह रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन किया कि ग्राम मालपुरा तहसील रामगढ की आराजी हाल खसरा न0 944 रकबा 0.01, 945 रकबा 1.21, 943 रकबा 0.11 किता 3 रकबा 1.33 सम्वत 2058 में है, सम्वत 2028 में आराजी खसरा न0 760 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा बने, सम्वत 2028 से पूर्व आराजी खसरा न0 466 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है। ग्राम मालपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2008 में खाता न0 368 खसरा न0 466 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा पर भी मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज अहतमाम शिम्बूदयाल वल्द भौरेलाल जाति ब्राहम्ण साकिन देह माफीदार जमीदारान अंकित है। ग्राम मालपुरा में जमाबन्दी सम्वत 2013 के खाता न0 466 खसरा न0 466 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा मन्दिर श्री सीताराम जी महाराज अहतमाम शिम्बूदयाल वल्द भौरेलाल जाति ब्राहम्ण साकिन देह माफीदार जमीदारान अंकित है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2028 में खाता न0 21 पर आराजी खसरा न0 760 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा कुन्दनलाल पुत्र मगलसिंह जाति ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार के नाम आराजी खसरा न0 760 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा का अंकन है, सम्वत 2035 की जमाबन्दी में खाता न0 10 पर आराजी खसरा न0 760 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा नामान्तकरण संख्या 173 का नोट है, जिससे बेचान तरणसिंह गुरूचरणसिंह पुत्रान तारासिंह व मुख्त्यारसिंह पुत्र करतारसिंह जाति जटसिंख को हुआ है। सम्वत 2039 की जमाबन्दी में खाता न0 67 पर नामान्तकरण संख्या 235 व 238 का नोट अंकित है, जिससे आराजी खसरा न0 760 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा बेंचान किया गया है। सम्वत 2044 की जमाबन्दी में खाता 27 पर नामान्तकरण 235 व 238 बेंचान से आराजी खसरा न0 760 रकबा 5 बीधा 5 बिस्वा कुन्दनलाल पुत्र मगलसिंह हि0 1/2 राजरानी स्त्री कुन्दनलाल हि0 1/2 ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार अंकित है। सम्वत 2048 की जमाबन्दी में खाता न0 31 पर नामान्तकरण संख्या 465 का नोट है, जिससे कुन्दनलाल पुत्र मगलसिंह हि0 1/2 व

2—2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

राजरानी स्त्री कुन्दनलाल हि0 1/2 ब्राहम्ण साकिन देह ने आराजी खसरा न0 760 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा रहन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गोविन्दगढ को रहन रखा है, जों जमाबन्दी सम्वत 2052 में यथावत रहा है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2058 में खाता न0 41 पर कुन्दललाल पुत्र मंगलसिह हि0 1/2 राजरानी स्त्री कुन्दललाल हि0 1/2 ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार आराजी खसरा न0 944 रकबा 0.01, 948 रकबा 1.21, 943 रकबा 0.11 का अंकन है। नामान्तकरण संख्या 74 व 75 से आराजी खसरा न0 944 रकबा 0.01, 945 रकबा 1.21, 943 रकबा 0.11 का बेचान सन्तूराम पुत्र हरिशचन्द जाति ओड साकिन धासोली तहसील किशनगढबास हाल मालपुरा के नाम हुआ नामान्तकरणो का अमल जमाबन्दी सम्वत 2064 में खाता संख्या 73 हुआ है। उक्त रेफरेस प्रकरण प्रस्तुत कर नामान्तकरण संख्या 74 व 75 व इससे पूर्व हुए परिवर्तनो को निरस्त करते हुए नामान्तकरण इन्द्राज पुनः मन्दिर माफी श्री सीताराम जी महाराज के नाम अंकन किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर जर्ये वकील अपना जवाब पेश कर अवगत कराया है, कि अप्रार्थी ने विवादित आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा के खातेदार काश्तकार कुन्दललाल पुत्र मंगलसिंह हि0 1/2 एवं राजरानी स्त्री कुन्दनलाल हि0 1/2 से प्रतिफल अदा कर क्रय की है, जिस बय के आधार पर नामान्तकरण संख्या 74 व 75 अप्रार्थी सन्तूराम पुत्र हरीशचन्द जाति औड राजपूत के नाम मौके व कब्जे व बयनामा के आधार पर स्वीकार हुआ है, जिसका अमल जमाबन्दी सम्वत 2064 में खाता संख्या 73 पर हुआ है। वकील अप्रार्थी द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनाक 24.05.2007 व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के पत्र दिनाक 06.01.2010 की प्रति एंव नकल निर्णय माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के निर्णय दिनाक 09.05.2005, 30.07.2005, 24.04.2008, 09.08.2010, 2011(1) आर.र.टी पेज संख्या 174 पेश की गयी है। वकील अप्रार्थी द्वारा उक्त आधारो पर तहसीलदार रामगढ द्वारा पेश रेफरेन्स को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

राजकीय अभिभाषक द्वारा तहसीलदार रामगढ के माध्यम से पेश रेफरेन्स प्रकरण में अंकित बिन्दुओ को स्वीकार करते हुये रेफरेन्स प्रकरण को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तहसीलदार रामगढ एव अप्रार्थी के द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया गया राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनाक 24.05.2007 में जागीर भूमियो में खातेदारी अधिकार – जागीर भूमि के प्रव्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ में राजस्व अभिलेखो में एक खातेदार, पटटेदार, खादिमदार के रूप में या अन्य किसी रूप मे जिसमें यह अन्तरहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज किया गया है। ऐसे अधिकार प्राप्त रहेगे और वह ऐंसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा। तथा जागीर के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पटटेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज है, उनमें उन काश्तकारो को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एंव हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त होगे, ऐसी भूमियो को पुनः मन्दिर के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नही है, राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्ति का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। उक्त परिपत्र की पालना में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनाक 06.01.2010 के द्वारा राजस्व न्यायालयो में लम्बित प्रकरणो का निस्तारण तदानुसार कराये जाने के आदेश दिये गये है। तहसीलदार रामगढ द्वारा उक्त रेफरेन्स प्रकरण वकील अप्रार्थी के नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार दिनांक 08.08.2005 के विरूद्व 28.07.2011 पेश किया गया है। जो करीब 6 वर्ष के पश्चात पेश

2-2

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

किया गया है, वकील अप्रार्थी द्वारा पेश नजीरो का अवलोकन किया गया जिसमें रेफरेन्स 437 दिन विलम्ब से पेश करने पर भी प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार रामगढ द्वारा पेश रेफरेन्स प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार रामगढ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

नोट:- आदेश दिनांक 20/12/2022 के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्णय दिनांक 15/12/2022 में जहाँ-2 पर अप्रार्थी की जाति ओड राजपूत के स्थान पर ओड राजपुर लिखा है, उसे ओड राजपूत तथा जहाँ-2 पर ग्राम का नाम मालपुरा लिखा है, उसे मालपुर पढा जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)